+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट - 2025-26)

(March 2025)

(Part III)

TOPICS TO BE COVERED

- बजट 2025-26: एक पर्यावरण अनुकूल बजट
- भारत का राजकोषीय संघवाद: केंद्रीय बजट 2025-26 की भूमिका
- बजट 2025-26: कर सुधारों की ओर प्रस्थान

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट 2025-26: एक पर्यावरण अनुकूल बजट

एक पर्यावरण अनुकूल बजट:

- भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है, साथ ही अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखा रहा है। देश ने 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन तीव्रता को पहले ही 36% तक कम कर दिया है और अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत 2030 तक इसे 45% तक घटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष तक ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 210 GW तक पहुंच गई है, जिसे 2030 तक 500 GW करने की योजना है।

- इसी संदर्भ में, 2025-26 के केंद्रीय बजट ने भारत के जलवायु लक्ष्यों को और मजबूत किया है, जिससे यह आर्थिक विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बन गया है। बजट में स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और महत्वपूर्ण खनिजों सहित जलवायु कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को समर्थन दिया गया है। इसके अलावा, जलवायु

अनुकूलन पर भी ध्यान दिया गया है, खासकर कृषि क्षेत्र में, जो चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों के लिए ठोस उपायों की घोषणा भी इस बजट का प्रमुख हिस्सा है।

हरित क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन और शासन में सुधार:

- भारत सरकार ने पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बजटीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बजट 10% बढ़ाकर 3,412.82 करोड़ रुपये किया गया है, जो हरित नीतियों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 39% वृद्धि के साथ इसे 25,649 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वित्तीय समर्थन स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने की भारत की रणनीति को मजबूती प्रदान करता है।

वितरित सौर ऊर्जा पर जोर:

- सौर ऊर्जा की सस्ती उपलब्धता को देखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वितरित सौर ऊर्जा (घर, कारोबार, और सार्वजनिक संस्थानों में सौर बिजली

बनाना) के लिए 22,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 66% अधिक है।

- फरवरी 2024 में शुरू हुई **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त सौर-उत्पन्न बिजली दी जा रही है। दिसंबर 2024 तक 6,30,000 से अधिक घरों में सौर उपकरण लगाए गए। इस पहल ने घरों को राष्ट्रीय जलवायु शमन योजनाओं से जोड़ा और बिजली की गुणवत्ता में सुधार किया।
- **पीएम-कुसुम योजना** के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान से 3% अधिक है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से पानी के पंपों का संचालन, डीजल और ग्रिड पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्माण:

- बजट 2025-26 में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा देने और आयातित सामग्रियों पर निर्भरता घटाने के लिए औद्योगिक नीतियों को समायोजित किया गया।
- सौर सेल और ग्रिड-स्तरीय बैटरियों सहित सौर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उपाय भारत को सौर क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं।

- बजट ने नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए हरित ऊर्जा गलियारों (GIS) का बजट बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये किया गया, जिससे सौर और पवन ऊर्जा अवसंरचना का विकास होगा। इसके अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को सुधारों के तहत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी।
- बजट ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत इसके लिए आवंटन को दोगुना कर 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हरित हाइड्रोजन इस्पात, सीमेंट, शिपिंग, विमानन और लॉन्ग-हॉल ट्रांसपोर्ट जैसे कठिन-से-डेकार्बोनाइज क्षेत्रों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।
- हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पूंजी जुटाना अब भी एक चुनौती बनी हुई है।

परमाणु ऊर्जा: पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा सुरक्षा का एक दूरदर्शी उपाय

परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है?

- अब तक भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का मुख्य बल सौर ऊर्जा पर केंद्रित रही है, लेकिन निर्बाध उपलब्धता की समस्या की वजह से अब वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर भी विचार किया जा रहा है।

- इस सन्दर्भ में परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकती है और इसके लिए ऊर्जा भंडारण में भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 के मध्य तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.2 GW थी, जो 2022-23 में कुल बिजली उत्पादन का मात्र 2.8% थी।

परमाणु ऊर्जा मिशन:

- ऐसे में इस वर्ष की बजट में घोषित 'परमाणु ऊर्जा मिशन' के तहत 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक दूरदर्शी पहल है, जो राष्ट्रीय सौर मिशन की तर्ज पर बनाई गई है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
- परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की घोषणा इसके विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से दायित्व जोखिमों में कमी आएगी, जिससे निजी निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR):

- इस योजना के तहत स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने का प्रस्ताव कई जरूरतों को पूरा कर सकता है, जैसे कार्बन उत्सर्जक संयंत्रों का

प्रतिस्थापन, ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना, और समुद्री जहाजों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। मध्यम अवधि में पांच स्वदेशी SMR विकसित करने की योजना ऐसे क्षेत्रों के लिए नए गैर-जीवाश्म ऊर्जा अवसर खोल सकती है, जहां कम कार्बन विकल्पों में बदलाव चुनौतीपूर्ण रहा है।

- अगले दशक में भारत में ऊर्जा-खपत वाले डेटा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, जिससे 2030 तक उनकी बिजली खपत कुल खपत के 1% से बढ़कर 3% तक पहुंच सकती है।
- SMR तकनीक डेटा केंद्रों के लिए एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा समाधान बन सकती है। अन्य देशों में कई प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने डेटा केंद्रों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए SMR तकनीक का परीक्षण कर रही हैं।
- SMR तकनीक में अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे तकनीकी उन्नयन और निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा संचरण:

- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का उपयोग भारत के परिवहन क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने और आयातित ईंधनों पर निर्भरता घटाने में सहायक

होगा। आयातित तेल पर निर्भरता कम होने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने में सरकार को मदद मिलेगी।

- इस सन्दर्भ में 2025-26 के बजट में EV निर्माण की घरेलू क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं को कम करने पर जोर दिया गया है।
- कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा और जस्ता जैसी सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) हटाने से EV निर्माण लागत घटेगी और भारत में EV विनिर्माण आधार मजबूत होगा।
- उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। साथ ही EV बैटरियों के लिए आयातित 35 पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे EV आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी।

चक्रीय अर्थव्यवस्था पर बल:

- भारत को विकसित के साथ-साथ हरित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी, लेकिन हरित अर्थव्यवस्था के लिए केवल अप्रयुक्त कच्चे माल पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा खपत को 11 प्रतिशत तक कम कर सकती है।

- बजट में जहाज निर्माण क्षेत्र एवं अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति हेतु वित्तीय लाभों की घोषणा की गई है जो देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कृषि क्षेत्र पर ध्यान:

- भारत सरकार किसानों के समर्थन और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में, जब यह कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, किसानों की आय घटा रहा है और उनकी आजीविका को खतरे में डाल रहा है, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विषम मौसमी घटनाओं से कृषि उपज और खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही इन्हें उजागर किया गया था। इसके समाधान के लिए 'उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बीजों का विकास करना है ताकि किसान अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें और भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत मिले।

पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु भारत की प्रतिबद्धता:

- भारत की जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण आवश्यक है ताकि जैव विविधता बनी रहे और जलवायु को नियंत्रित किया जा सके। इन संसाधनों के संरक्षण से कमजोर समुदायों के लिए सतत आजीविका को भी समर्थन मिलेगा।
- बजट 2025-26 में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट ' के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है।
- यह दर्शाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को बनाए रखने के लिए व्यापक उपायों के प्रति वचनबद्ध है।

सतत शहरी विकास हेतु 'शहरी चुनौती कोष' की स्थापना:

- बजट 2025-26 में 'शहरी चुनौती कोष' स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत के विकास वाहक के रूप में कार्य करने वाले शहरों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
- बजट में जल आपूर्ति और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही लाभदायक परियोजनाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% तक वित्तीय

सहायता देगी। शहर अपने वित्तीय संसाधनों को मिलाकर निजी पूंजी आकर्षित कर सकते हैं, जिससे जल और स्वच्छता सेवाओं में वित्तीय अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

बजट, भारत की हरित और सतत विकास यात्रा को मजबूत बना रहा है:

- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की हरित और सतत अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा को सशक्त करता है और देश को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा यह बजट जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी सहायता करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत का राजकोषीय संघवाद: बजट 2025-26 की भूमिका

परिचय:

- एक फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया।

- वित्त मंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करना केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत साझेदारी पर निर्भर करता है। यह सहयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि देश के विविध भौगोलिक परिदृश्य में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- बजट में उल्लिखित अनेक विकासात्मक योजनाएं और पहल इस बात को रेखांकित करती है कि राजकोषीय संघवाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख साधन होगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राजकोषीय संघवाद:

- जर्मन अर्थशास्त्री रिचर्ड मसग्रेव द्वारा विकसित अवधारणा 'राजकोषीय संघवाद' संघीय व्यवस्था में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध और संसाधन आवंटन का वर्णन करती है। भारत में इसका तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे से है।
- राजकोषीय संघवाद भारत के आर्थिक शासन की रीढ़ है। भारतीय संविधान संघ और राज्यों की वित्तीय भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह विभाजन संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संरचित है।

भारत में राजकोषीय संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 270:** संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए जाने वाले करों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 275:** संघ से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों से संबंधित है
- **अनुच्छेद 279 A:** GST परिषद के गठन से संबंधित है।

- **अनुच्छेद 280:** संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण, राज्यों को अनुदान और राज्य और स्थानीय सरकार के कोष को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में वित्त आयोग के गठन से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 282:** संघ और राज्य किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं भले ही वह संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जा सकने वाले कानूनों के दायरे में न हो। यह विधायी प्राधिकरण विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में लचीलापन देता है।
- **अनुच्छेद 293:** राज्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जो कुछ मामलों में भारत सरकार की सहमति के अधीन है।

राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना:

- पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए संसाधन अंतरण में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की है।
- 2013-14 में संसाधन का सकल अंतरण 5.35 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 21.12 लाख करोड़ रुपये हो गया और 2025-26 के बजट में इसे और

बढ़ाकर 25.6 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि सहकारी संघवाद और संतुलित क्षेत्रीय विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केंद्रीय बजट 2025-26: राजकोषीय संघवाद का चार स्तंभ मॉडल

- 2025-26 का केंद्रीय बजट राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- बजट राजकोषीय विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और राज्यों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए चार-स्तंभ मॉडल पर तैयार किया गया है। ये स्तंभ हैं:

  i. राज्यों को करों और शुल्कों के अंतरण में वृद्धि

  ii. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता

  iii. राज्यों को उच्च अनुदान सहायता

  iv. राज्यों को उच्च उधार सीमा

स्तंभ-1: केंद्रीय करों और शुल्कों का उच्च अंतरण

- राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों का अंतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होता है।

- एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में राज्यों की भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतरण में **31% से 42% तक** की जबरदस्त वृद्धि को माना। 15वें वित्त आयोग ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा और राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की।
- केंद्रीय बजट 2025-26 राज्यों को कुल 14,22,444 करोड़ रुपये के करों और शुल्कों के अंतरण का प्रस्ताव करके इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह 2024-25 में 12,47,211 करोड़ रुपये से 14.01 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। यह भारत के विकास में राज्यों को समान भागीदार बनाने के लिए केंद्र की निष्ठा को दर्शाता है।

स्तंभ-2: पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

- पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देता है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राजकोषीय दबावों के बावजूद 2020-21 में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना शुरू की। योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका विस्तार किया है, जिससे राज्यों को अधिक स्वतंत्रता और संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

- उल्लेखनीय है कि बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 4.9 प्रतिशत से घटाकर बजट 2025-26 में 4.4 प्रतिशत करने की कठिन चुनौती के बावजूद बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त परिव्यय का प्रस्ताव है।

स्तंभ-3: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान सहायता

- केंद्र से राज्यों को अनुदान सहायता भारत में सहकारी राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इन अनुदानों में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आवंटन के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए धनराशि शामिल है। उल्लेखनीय है कि CSS केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है।
- 2025-26 के बजट में CSS के लिए 5,41,850 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में आवंटित 5,05,978 करोड़ रुपये से काफी अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कृषि:

- कृषि को आर्थिक वृद्धि और विकास का मुख्य इंजन माना गया है जिस पर वित्त मंत्री का विशेष ध्यान है, और किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित इस पहल का लक्ष्य 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कम उत्पादकता, सामान्य फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले जिलों को लक्षित करेगी।
    - **दलहन में 'आत्मनिर्भरता':** तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए छह वर्षीय 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' की घोषणा की गई है। इस पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
    - **सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम:** इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए सब्जियों और फलों के उत्पादन, आपूर्ति दक्षता और प्रसंस्करण को बढ़ाना है।

- **कपास उत्पादकता मिशन:** कपास की खेती की उत्पादकता और वहनीयता में सुधार करने के लिए पंचवर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की गई है। यह पहल कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को भी बढ़ावा देगी जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

ग्रामीण विकास:

- **'ग्रामीण सम्पन्नता और क्षमता-निर्माण':** कृषि में अल्परोजगार से निपटने के लिए राज्यों के सहयोग से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय "ग्रामीण सम्पन्नता और क्षमता निर्माण' कार्यक्रम की घोषणा की। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है और यह सुनिश्चित करना कि प्रवास एक आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बन कर रह जाए।
- **जल-जीवन मिशन:** वित्त मंत्री ने कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार का भी प्रस्ताव दिया है।

शहरी विकास:

- **शहरी आजीविका को मजबूत करना:** शहरी श्रमिकों की आय में सुधार, स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई।

- **पीएम स्वनिधि:** इस योजना ने पहले ही 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत प्रदान करके लाभान्वित किया है।
- **शहरी चुनौती निधिः** वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की। यह कोष 'शहरों के विकास केंद्र', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के तहत परियोजनाओं की सहायता करेगा जो बैंक योग्य परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषण करेगा।
- **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना:** बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था को समझते हुए सरकार एक करोड़ गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है। उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्राप्त होगी।

शिक्षा:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सुधारों की रूपरेखा पेश गई है।

- छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।
- आईआईटी में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बजट में इस वृद्धि को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार का भी प्रावधान किया गया है।

स्तंभ-4: बढ़ी हुई उधारी के माध्यम से राज्य के वित्त को मजबूत करना

- राज्य-आधारित विकास में राजकोषीय लचीलेपन की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए वित्त मंत्री ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.5% के अतिरिक्त उधार प्रावधान की घोषणा की जिससे राज्यों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो गई।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उपसंहार:

- भारत की निरंतर प्रगति के लिए एक सशक्त संघीय ढांचा आवश्यक है, जिसे केंद्र सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण में प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य सभी राज्यों के समग्र विकास से ही संभव है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो प्रतिस्पर्धी और सहकारी राजकोषीय संघवाद को प्रोत्साहित करता है। यह बजट सरकार की मजबूत, लचीले और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट 2025-26: कर सुधारों की ओर प्रस्थान

परिचय:

- पिछले एक दशक में भारत की कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमान योग्य बनाने पर जोर दिया गया है। कर अनुपालन को सहज बनाने, दरों को युक्तिसंगत करने और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिससे करदाताओं का बोझ कम हो और प्रणाली अधिक कुशल बने।

मध्यम वर्ग के लिए राहत:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर स्लैब का पुनः निर्धारण किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों की कर देयता कम की गई है।
- सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पूर्वानुमान योग्य बनाने के लिए जटिल बहुस्तरीय ढांचे को हटाकर सरल कर संरचना प्रस्तुत की है। इसके अलावा, स्व-स्वामित्व वाली दूसरी संपत्ति पर कराधान के पुराने प्रतिबंधों को हटाया गया है।

कर अनुपालन में आसानी और तनाव में कमी:

- बजट 2025-26 कर प्रणाली को सरल और बाधाओं से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।
- ITR अपडेट की समय-सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई, जिससे करदाताओं को त्रुटियों को सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा।
- TDS/TCS प्रावधानों को सरल बनाया गया, जिससे गैर-फाइलरों पर अधिक कर कटौती का बोझ कम होगा और नकदी प्रवाह बेहतर होगा। TCS भुगतान में देरी अब आपराधिक दायित्व नहीं होगी।

निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन:

- बजट 2025-26 कर नीति को आर्थिक विस्तार और निवेश आकर्षण का साधन बनाने पर केंद्रित है।
- 'स्टार्टअप कर लाभ' को 01 अप्रैल, 2030 तक बढ़ाया गया, जिससे नए उद्यमों को नवाचार और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। शिपिंग उद्योग को नई 'टन भार कर योजना' से बढ़ावा दिया गया, जिसमें अंतर्देशीय जहाजों को भी शामिल किया गया है।
- IFSC (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन दिए गए।

निष्कर्षः एक संतुलित, विकासोन्मुख कर का विजन

- भारत की कर प्रणाली प्रगतिशील है, जिसमें उच्च आय वर्ग के लोग अधिक कर योगदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कर प्रशासन में किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप कर-से-GDP अनुपात में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.9% तक पहुंच गया है। इसी वर्ष प्रत्यक्ष कर GDP का 6.9% होने का अनुमान है, जबकि नाममात्र GDP वृद्धि 10.1% रहने पर कर उछाल 1.20 रहने की संभावना है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य एक निष्पक्ष, प्रभावी और भारत की आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप कर प्रणाली विकसित करना है। यह बजट कर प्रशासन को अधिक स्थिर, पूर्वानुमान योग्य, डिजिटल रूप से सक्षम और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे करदाताओं के लिए अधिक सरल और समावेशी प्रणाली सुनिश्चित हो सके।